FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत (SDO) मुकाम ...

... बनाम ...

किस्म मुकदमा 111,128 RLRact नं. 101/2021 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.2.21	~~प्रार्थी~~/~~वादी~~/अपीलांट के वकील श्री ... ने यह प्रार्थना पत्र/~~वाद~~/अपील धारा 111,128 RLRact ~~राजस्थान काश्तकारी~~/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। ~~विप्रार्थी~~ /प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 04.5.21 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) ...	
4/5/21	प्रार्थी वकील उप०। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल अदम तामिल अप्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होनेसे मिशल इलतवा होकर आगामी दिनांक 29/6/21 को पेश हो।	
29/6/21	प्रार्थी वकील उप०। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त। जिले शामिल पत्रा... किया गया श्रीमान पी०अ० ... का पद रिक्त होनेसे मिशल इलतवा होकर आगामी दिनांक 26/10/2021 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:47:16 IST
Reason: SelfAttested

26/10/21 प्रार्थी वकील उप0 / विप्रार्थीगण अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के अभियान 20[illegible] व्यस्त होने से मिसल इल्तवा तारीख दि. 4/1/22 को [illegible]

4/1/22 प्रार्थी वकील उप0 / विप्रार्थीगण अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज [illegible] pm पर लगाई गई, विप्रार्थीगण स्वयं या उसकी ओर से कोई अभिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ। लिहाजा विप्रार्थीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अभिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अभिवक्ता ने बताया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत लगते आए हुए हैं खेतों के मध्य जो मार्क एवं कको आए हुए हैं जो वर्तमान में आंधियों के वजह से बिखर गए हैं जिससे प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान नहीं हो पाता है खेत की सीमाओं को लेकर प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच हमेशा तनाजा बना रहता है। प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत तरमीमबंदी करवाना आवश्यक है, इसलिए प्रार्थी का तरमीमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तरमीमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अभिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का तरमीमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ भू-अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की तरमीमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट पेश होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज रजिस्टर हो कर [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:47:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2022 / 1605 दिनांकः– 4/1/2022

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

1. चूनी देवी पत्नि पेमाराम वगैरा 3 जाति जाट, निवासी आहोणी बेनिवालों की ढाणी पटवार मण्डल माधासर तहसील बायतु (बाड़मेर)	1. टीकूराम पुत्र दौलाराम वगैरा 17 जाति जाट, निवासी आहोणी बेनिवालों की ढाणी पटवार मण्डल माधासर तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 101 / 2021

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा – आहोणी बेनिवालों की ढाणी, पटवार मण्डल –माधासर, तहसील – बायतु, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 302, 749/303 रकबा 0.0243, 6.1080 हैक्टयर एवं मौजा– रोजिया नाडी पटवार मण्डल – माधासर तहसील –बायतु जिला –बाड़मेर के खेत खसरा नं. 246 रकबा 2.1924 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500/– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

सहायक कलक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांकः– 4/1/2022

क्रमांक / वाद / 2022 / 1606–1610

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का माधासर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री चूनी देवी पत्नि पेमाराम वगैरा 3
4. विप्रार्थी श्री टीकूराम पुत्र दौलाराम वगैरा 17
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:47:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी बायतु